फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

अनोप सिंह बनाम सरूप सिंह वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 नं. 187/16 सन 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.09.15	प्रार्थी की और से प्रार्थी वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वकील को अन्तरिम आदेश पर एकपक्षीय सुना गया। पत्रावली व संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्राथी व विप्रार्थीगण की पैतृक संपति की भूमि पैतृक है। सुविधा का सन्तुलन एंव प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख .25/10/2016 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी मौजा डेलुओं की ढाणी पटवार मण्डल सोहड.ा के खेत खसरा नम्बर 197 रकबा 185.07 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 25/10/2016 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

25/10/16

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1 से 10 के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई है। ~~विपक्षी संख्या~~ प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या 13 व 16 की फोतगी सूचना मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया, ~~मगर~~ तथा विपक्षी संख्या 3 से 6 व 11 से 17 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, श्रीमान पीठासीन अधिकारी डीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/11/16 को पेश हो, तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

08/11/16

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/11/16 को पेश हो।

23/11/16

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। ~~[illegible]~~ विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, विपक्षी संख्या 1, 2 व 7 से 10 के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 06/12/16 को पेश हो, तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

Scanned by CamScanner

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/12/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 20/12/16 को पेश हो।	
20/12/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी वकील बहस फाईनल करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली फाईनल दिनांक 04/01/17 को पेश हो।	
04/01/17	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता का मूल वाद का निस्तारण हो चुका है इसलिए इन्जेक्शन का कोई औचित्य नही रहता है अतः स्थगन आवेदन भी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	